शिक्षक-शिक्षा में निष्क्रियता तथा न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता

पूनम बत्रा

बीस-वर्षीय सरस्वती ग्रामीण मध्य प्रदेश से है। उसे आशा है कि उसके दो बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा हासिल कर पाएँगे, जो वह स्वयं नहीं कर पाई थी। बारह-वर्षीय किशन जाटव अब्दुल कलाम की तरह 'अन्तरिक्ष वैज्ञानिक' बनना चाहता था लेकिन उसे अपने भाई की साइकिल-मरम्मत की दुकान चलाने में मदद करने के लिए कक्षा-6 में स्कूल छोड़ना पड़ा।

ऐसा क्या है जो ऐसे लाखों बच्चों के जीवन को एक साझा धागे में पिरोता है? यह धागा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक गारण्टी प्रदान करने में भारतीय राज्य की असफलता का धागा है - असफलता एक ऐसी शिक्षा देने की, जो इन बच्चों, उनके माता-पिता और समुदायों का सशक्तीकरण इस रूप में करे कि वे अपने जीवन को अपने लिए अर्थपूर्ण तरीके और अपनी गति से परिवर्तित कर पाएँ। यह शिक्षा ऐसी नहीं होना होगी जो कहीं दूर बैठी नौकरशाह कमेटियों द्वारा संचालित हो - या फिर संचालित हो वैश्विक नेट्वर्क्स से, जो लाभ के लिए निजी स्कूलिंग की पैरवी करते हैं, देश की मानव-पूँजी के निर्माण और वैश्विक हो रहे संसार में उसके प्रतियोगी होने की सामर्थ्य बनाने के मकसद से।

जटिल ढाँचागत, संरचनात्मक चुनौतियों का जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल स्थान तक पहुँचने में छिपा है – और यह स्थान है स्कूल की कक्षा। भारत के बच्चों के दिलों, दिमागों और उनके भविष्य के लिए जंग, देश के लाखों स्कूलों में हर दिन हारी जा रही है। अगर हम सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की वास्तविकता को जल्द ही नहीं बदल पाते तो शायद एक और पीढ़ी के लिए हार ही होगी, फिर शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का चाहे 3% और चाहे 6% समर्पित हो।

इतना सब कहने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सफलताओं का जायजा लें और देखें कि हम क्यों आम आदमी की आशाओं पर खरा नहीं उतर पाए हैं।

शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के तौर पर आधी सदी के संघर्ष के बाद 2009 में भारत के संविधान में स्थापित किया गया। इसके चलते भारत का राज्य सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, सुनिश्चित करने और संचालित करने की कानूनी जिम्मेदारी से बँध गया है। तत्पश्चात, इस संवैधानिक अधिकार के पूरा न किए जाने को सम्बोधित करना, संसद और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के सिर आ गया। नीतिगत कदम, हस्तक्षेप, स्कूली व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार को लेकर न्यायालय की व्याख्या के विरुद्ध जाकर उठाए गए या न उठाए गए कदम निरस्त किए गए हैं और न्यायालय की निगरानी में हस्तक्षेप तथा संचालन ने उनका स्थान लिया है।

जून 2011 में एक बड़े कदम के तहत उच्चतम न्यायालय ने बहुत व्यापक स्तर पर हो रहे अनाचार, नीतियों की विकृतियों और संचालन सम्बन्धी टकरावों से सम्बद्ध शिकायतों को सम्बोधित करने के लिए शिक्षक-शिक्षा में एक दूरगामी हस्तक्षेप किया[1]। विषैले सर्पों के बिलों के से निहित स्वार्थों को उजागर करने के बाद – जिनमें व्यापक भ्रष्टाचार, नकली महाविद्यालय, एक मृतप्राय: शिक्षक-अध्यापक समुदाय से लेकर अनाचार और व्यापक राजनैतिक संरक्षण तक शामिल थे – भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस.वर्मा के नेतृत्व में कमीशन गठित किया गया।

इस कमीशन ने साल भर के राष्ट्र-व्यापी परामर्श के बाद इस सेक्टर में सुधार हेतु अगस्त 2012 में उच्चतम न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट[2] और क्रियान्वयन- योजना प्रस्तुत की। कमीशन ने इस ओर ध्यान दिलाया कि "..... लगभग 90 प्रतिशत सेवा-पूर्व शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थाएँ निजी क्षेत्र में हैं। दूसरी ओर राजकीय स्कूलों में नामांकित लगभग 80 प्रतिशत बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सीधे तौर पर राज्य की जिम्मेदारी हैं।" यह भी कहा गया कि शिक्षक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निम्न-स्तरीय शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को नियंत्रित करने की असफलता की वजह से "व्यापारीकरण हुआ है..... जिसके चलते शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है" (पृष्ठ 21)।

जस्टिस वर्मा कमीशन ने शिक्षक-शिक्षा के लिए परेशानी का सबब बनी मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। इनमें से प्रमुख ये हैं – शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की अलग-थलग, बाकी सबसे पृथक प्रकृति; निम्न-स्तरीय, व्यापारिक निजी संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी; समयकाल, पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र से सम्बद्ध, (65

[1]Rashtrasant T.M.S. & S.B.V.M.C.A. VID & Ors v Gangadar Nilkant Shende & Ors SLP (Civil) No. 4247-4248/2009.
[3]GoI (2012), Vision of Teacher Education in India: Quality and Regulatory Perspective, Report of the High-Powered Commission on Teacher Education Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi: MHRD.

से भी अधिक सालों से) अपरिवर्तित ढाँचे में रहते हुए शिक्षकों की तैयारी; शिक्षकों और शिक्षक-अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थागत सामर्थ्य का जबरदस्त अभाव तथा पेशेवर शिक्षकों और शिक्षक-अध्यापकों को तैयार करने के लिए वर्तमान स्नातकोत्तर (एम.एड.) कार्यक्रमों की सामान्यीकृत और संकीर्ण प्रकृति।

जस्टिस वर्मा कमीशन द्वारा महाराष्ट्र की जिन 291 संस्थाओं की समीक्षा की गई, उनमें से 85% से भी अधिक को बन्द किए जाने की अनुशंसा की गई थी। इस अनुभव के आधार पर सिफारिश की गई है कि एन.सी.टी.ई. को "स्वीकृत संस्थाओं की जाँच के लिए एक नया ढाँचा विकसित करना चाहिए जिसमें प्रक्रिया के मापदण्डों पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो, ताकि संस्थाओं की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके... सरकार को शिक्षक-शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए निवेश में बढ़ोतरी करनी चाहिए।"

रिपोर्ट ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण तथा शिक्षकों के निरन्तर पेशेवर-विकास कार्यक्रमों की बेहतरी, एन.सी.टी.ई. के कानूनी नियामक कार्यों में फेरबदल तथा एन.सी.टी.ई. कानून के लिए 30 विशेष सिफारिशें कीं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया। इस न्यायालय ने स्थापित व्यवहार के बरक्स तीन-सदस्यी क्रियान्वयन कमेटी[3] का गठन इस मकसद से किया कि भारत सरकार, राज्य सरकारों और शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र की संस्थाओं की सभी नीति-निर्माता, नियामक, परामर्श-सम्बन्धी तथा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशों को निष्ठा से लागू किए जाने बारे स्वतंत्र पर्यवेक्षण किया जा सके।

क्रियान्वयन कमेटी के आदेश पर एन.सी.टी.ई. तथा भारत सरकार द्वारा गठित कमेटियों ने इसके बाद एक रास्ता सुझाया जिसके तहत क्रियान्वयन के लिए कई ठोस रणनीतियों का खाका खींचा गया है। इनमें ये सब बातें शामिल हैं – संस्थागत बन्दोबस्त में ढाँचागत परिवर्तन; स्कूली एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र की ओर ताजा प्रतिभा को आकर्षित किया जाना; विविधता को और बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या को पुनर्रचित किया जाना; भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और ज्ञानार्जन को विकसित किया जाना; और धरातल पर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सम्भव बना पाने के लिए उपयुक्त नियामक प्रणालियों का होना।

उदाहरण के तौर पर, जस्टिस वर्मा कमीशन ने कहा है कि "शिक्षकों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य को बढ़ाने के अलावा, सेवा-पूर्व कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या और संस्थागत संरचना में एक बड़े बदलाव की जरूरत है।" उनकी 'पृथक, अलग से खड़े होने' की प्रकृति के चलते शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ "ज्ञान संवर्धन की गतिविधियों और शोध तथा अन्तर्विषयक अध्ययनों की संस्कृति से कटी रहती हैं... इसलिए अपेक्षित है कि नई शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ बहु तथा अन्तर्विषयक अकादमिक वातावरण में स्थित हों।"

जस्टिस वर्मा कमीशन की तीन सिफारिशों के बारे में हमें सोचना होगा। ये सिफारिशें हैं कि (क) सरकारी निवेश बढ़ाएँ (ख) सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के शिक्षक तैयार करें, तथा (ग) उस अलग-थलग पड़ी बौद्धिकता को दूर करें जो स्कूली शिक्षकों तथा स्कूलों की विशेषता बन चुकी है। इन सिफारिशों से सम्बोधित होने के लिए आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों को उदार शिक्षा और विज्ञान में स्नातक-अध्ययन के अवसर देने वाले विश्वविद्यालय-आधारित महाविद्यालयों में स्थित किया जाए।

देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को प्रशिक्षित करने वाली 16,000 से भी अधिक, एन.सी.टी.ई. से मान्यता-प्राप्त, शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ हैं। प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले लगभग आधे शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालयी व्यवस्था के बाहर हैं। इसकी तुलना में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का मान्यता-प्राप्त एवं घटक कॉलेजों से सम्बद्ध डेटा-बेस सुझाता है कि देश भर में उदार-शिक्षा (Liberal arts) तथा विज्ञान के 35,000 से अधिक कॉलेज हैं। जिन राज्यों में शिक्षकों की सख्त आवश्यकता है (यानी उनका अभाव है) लेकिन शिक्षक-शिक्षा संस्थाएँ भी नहीं हैं, वे सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में मौजूद स्नातक महाविद्यालयों को टटोलकर देख सकते हैं।

इस अभाव का सामना कर रहे 14 राज्यों में ही सालाना लगभग 19,000 और शिक्षक-अध्यापकों की आवश्यकता है। जस्टिस वर्मा कमीशन और बारहवीं योजना वर्किंग-ग्रुप ने शिक्षक-अध्यापकों की विशाल कमी को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम सुझाए थे। इनमें ये शामिल हैं – (क) मौजूदा संस्थाओं में सालाना शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर उनकी सामर्थ्य को बढ़ाना (ख) विश्वविद्यालयों में एम.एड. चलाने के लिए सामर्थ्य लाना (ग) शिक्षक-अध्यापकों के योग्यता-मापदण्डों में विविधता लाना।

इसलिए जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिश है कि शिक्षक-अध्यापकों के लिए आवश्यक, सारभूत योग्यता के ढाँचे को

---

[3]क्रियान्वयन कमेटी का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के 14/16.5.2013 के आदेश की अनुपालना में हुआ था। क्रियान्वयन कमेटी ने वर्मा कमीशन की सिफारिशों को प्रभावी तौर पर लागू किए जाने के लिए एक व्यापक और विस्तृत कार्य-योजना तैयार की। उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सी) संख्या 2399-2400/2009 में 10/9/2013 के साथ-साथ कई अन्य अनुमति याचिकाओं के तहत पारित आदेश में एन.सी.टी.ई. को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक 30/11/2013 तक नए नियम अधिसूचित किए जाएँ – बाद में इसे बढ़ाकर नवम्बर 2014 तक किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि 'क्रियान्वयन कमेटी द्वारा की गई सब सिफारिशें भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों एवं एन.सी.टी.ई., यू.जी.सी. पर बाध्य होंगी और वे सब इन्हें बिना किसी फेर-बदल के लागू करेंगे।"

अधिक व्यापक बनाया जाए ताकि शिक्षक-अध्यापक बनने के लिए विशिष्ट प्राध्यापकगण का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। बारहवीं योजना के तहत वर्किंग-ग्रुप ने भी आवश्यक योग्यता के मानक को एम.एड. तक सीमित कर देने के 'प्रतिबन्धक नियम' पर निम्नलिखित बातों की रोशनी में पुनर्विचार करने को कहा है - "(क) आवश्यक शिक्षक-अध्यापकों की दक्षताएँ और एन.सी.एफ़.टी.ई. 2009 की रूपरेखा के भीतर रहते हुए संशोधित पाठ्यचर्या की जरूरतें; तथा (ख) शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार ..... मुख्य विचार यह है कि विभिन्न विद्या-क्षेत्रों के लोगों को शिक्षक-अध्यापक बनने के वैकल्पिक पथ प्रस्तुत किए जाएँ।"

इस पर जस्टिस वर्मा कमीशन के भी स्पष्ट विचार हैं। कमीशन बिना किसी शक के, दो-टूक ध्यान दिलाता है कि "सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में शिक्षक-अध्यापकों की तैयारी एक कमजोर कड़ी रही है, और इसलिए एक शिक्षक-अध्यापक के प्रोफाइल के मुद्दे की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और यह इस विषय पर मौजूदा सोच से ऊपर उठकर होना होगा" (पृष्ठ 17)। कमीशन शिक्षण के आधारभूत पाठ्यक्रमों के लिए सामाजिक विज्ञान में एक मजबूत बुनियाद की सिफारिश करते हुए टिप्पणी करता है कि शिक्षक-अध्यापकों की भरती के लिए एम.एड. की डिग्री का मौजूदा संस्थागत-मानक एक सीमा में बाँधता है और इसमें बदलाव होना चाहिए।

यदि बहुविषयक और अन्तर्विषयक प्राध्यापकगण को मुख्य बुनियादी विद्या-क्षेत्रों में मजबूत सैद्धान्तिक और ज्ञानमीमांसीय आधार के साथ शिक्षक-अध्यापक बनने में मदद मिलती है तो शैक्षिक सिद्धान्त और व्यवहार के मुद्दों के साथ अधिक व्यापक और गहरे स्तर पर सम्बद्ध होने का मौका मिलेगा। इस प्रकार उच्च शिक्षा के साथ गहरे और पार्श्वीय, ('लेटरल') सम्बन्ध बनने की सम्भावना रहेगी, जो जस्टिस वर्मा कमीशन की एक सिफारिश है।

जस्टिस वर्मा कमीशन एक स्पष्ट रुख लेता है कि 'एम.एड. कार्यक्रम को द्विवर्षीय कार्यक्रम बनना चाहिए जिसमें पाठ्यचर्या अध्ययन, शिक्षाशात्रीय-अध्ययन, नीति, वित्त और आधारभूत अध्ययन जैसी विशिष्ट शाखाओं में फैलाव का पर्याप्त प्रावधान हो।' एन.सी.टी.ई. द्वारा 2014 में नए मानकों की अधिसूचना निकाले जाने के बाद यह अब प्रभावी तौर पर हो चुका है। एम.एड. कार्यक्रम को और अधिक बल प्रदान करने के लिए कमीशन ने सिफारिश की है कि "शिक्षक-शिक्षा के रास्ते के अलावा अन्य तरीकों से शैक्षिक अध्ययन करने के इच्छुक लोगों के लिए पार्श्वीय प्रवेश का प्रावधान हो।" सामाजिक विज्ञान, कला संकाय और विज्ञान के विभिन्न विद्या-क्षेत्रों के स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए (शिक्षक बनने की योग्यता हासिल किए बिना भी) एम.एड. को खोल दिया जाए तो शिक्षक-अध्यापक बनने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर प्रतिभा के लिए मैदान खुलेगा।

यह बात इस समझ से निकलकर आती है कि हमें ऐसे शिक्षक-अध्यापक चाहिए जिनमें पाठ्यचर्या-स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षार्थियों, ज्ञान और ज्ञानार्जन से जुड़े सवालों से उलझने की सामर्थ्य हो। और इसके लिए बुनियादी विषय-क्षेत्रों के साथ सघन सैद्धान्तिक सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता होती है न कि केवल शिक्षण के व्यवहार के माध्यम से।

शिक्षकों ने सुझाए गए संशोधित नियमों पर कई ऐतराज उठाए हैं जो इस चिन्ता से प्रेरित हैं कि शिक्षा के 'ज्ञानक्षेत्र' को बचाकर रखा जाए। उनके इस सरोकार और चिन्ता को बेहतर तरीके से सम्बोधित करने के लिए शायद ऐसी कोशिशें होना होंगी जिनमें शिक्षा के अध्ययन को एक उदार ज्ञानक्षेत्र के तौर पर लेने के साथ-साथ शिक्षा के अध्ययन और व्यवहार को एक पेशेवर व्यवसाय के तौर पर लिया जाए। ऐसा करने के दो बेहतरीन तरीके हो सकते हैं - पहला, शिक्षा को एक उदार अध्ययन और दूसरी ओर व्यावसायिक, पेशेवर अध्ययन के तौर पर देखने के बनावटी अन्तर को कम करके। इसके लिए 'व्यावसायिक' कहलाए जाने योग्य तत्वों, मुद्दों, सरोकारों और तरीकों पर तथा दूसरी ओर शिक्षा के 'उदार' कहलाए जाने लायक तत्वों पर संयोजित सोच-विचार और एकमत कायम करना होगा। यह एम.एड. कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या विकसित किए जाने के स्तर पर सुलझाए जाने की बात होगी।

अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि व्यावसायिक और उदार शिक्षा को एक-दूसरे को अनुप्राणित करना होगा ताकि शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार को समृद्ध किया जा सके, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और कला संकाय के विद्यार्थियों को शैक्षिक-अध्ययन (स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान) करने के लिए समर्थ बनाया जाए फिर चाहे उन्हें शिक्षक-शिक्षा की डिग्री न भी हासिल हो। इतना ही महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विद्या-क्षेत्रों में प्रशिक्षित प्राध्यापकगण को शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों में पढ़ाने की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाए। स्कूलों और अन्य ऐसे ही परिवेशों में शिक्षा के व्यवहार से उभरने वाले मुद्दों पर शोध के लिए भी बुलाया जाए।

2016 का नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव स्कूल शिक्षकों की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को अपने संज्ञान में लेता है। इनमें 'शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में पेशेवर भावना की कमी, प्रशिक्षण और व्यवहार में तालमेल न होना, शिक्षकों का गैर-शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त रहना, गैर-प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याएँ, शिक्षकों का अभाव, शिक्षक-अनुपस्थिति और शिक्षक-जवाबदेही' की बातें शामिल हैं। लेकिन यह बात समझ के बाहर है कि शिक्षक-शिक्षा

के क्षेत्र की इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण कमी के इर्द-गिर्द उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शिक्षक-शिक्षा पर जस्टिस वर्मा कमीशन (2012) द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर इस नीति-प्रस्ताव ने एक चुप्पी क्यों साधे रखी है।

नवम्बर 2014 में भारत के गजट में जारी अधिसूचना में जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशों पर आधारित, शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के नियामक मानकों और मापदण्डों में बड़ा संशोधन किया गया लेकिन इस पर भी नई शिक्षा-नीति प्रस्ताव कोई ध्यान नहीं देता - जबकि यह कदम उच्चतम न्यायालय के सख्त दिशानिर्देश पर 2012 में कमीशन की सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकारते हुए उठाया गया था।

शिक्षा नीति का यह नया प्रस्ताव शिक्षकों में पेशागत भावना और उनकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एक ही रणनीति प्रस्तावित करता है, और वह है राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक-शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश। जस्टिस वर्मा कमीशन के विचार-विमर्श के दौरान इस अवधारणा के विरुद्ध दलील दी गई है। इससे तो शिक्षकों को बौद्धिक शून्यता में तैयार किए जाने की मौजूदा समस्या को ही बढ़ावा मिलेगा, जो अलग-थलग-पृथक संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। इसकी ओर जस्टिस वर्मा कमीशन ने ध्यान दिलाया है और इसके विरुद्ध वह मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है।

ऐसा लगता है कि इस नीति के मसविदे के केन्द्र में शिक्षकों को जवाबदेह बनाने और बेहतर प्रदर्शन कर पाने से सम्बद्ध सुझाव देने की बात है। सिफारिश की गई है कि किस तरह 'शिक्षक-अनुपस्थिति और अनुशासनहीनता' से निपटने के लिए जवाबदेही से सम्बद्ध कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए मोबाइल फोन और बायोमीट्रिक यंत्रों के इस्तेमाल से हाजिरी दर्ज करवाना; और उसे आवश्यक बनाते हुए तथा भविष्य की पदोन्नति एवं वेतनवृद्धियों के साथ जोड़ते हुए, शिक्षकों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना। अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान ने दर्शाया है कि जवाबदेही की प्रणालियाँ किस तरह स्कूलों और कक्षाओं में शिक्षकों के काम को गम्भीर रूप से कमजोर करती हैं। इनमें सी.सी.टी.वी. का लगाया जाना, शिक्षकों को अपने काम का विस्तृत दस्तावेजीकरण करने के लिए बाध्य किया जाना, उन्हें लगातार निगरानी और नियन्त्रण में रखा जाना शामिल है।

शिक्षक तैयार किए जाने के लिए बहुत कम संस्थागत सामर्थ्य होने की वजह से कई राज्यों में शिक्षकों का बहुत अधिक अभाव है। इनमें से कई राज्यों ने शिक्षकों को अनुबन्ध पर लगाने का निर्णय लिया है और शिक्षा अधिकार कानून के तहत उनकी आवश्यक योग्यताओं के साथ समझौता किया है। जस्टिस वर्मा कमीशन के मुताबिक इनमें से अधिकतर लोग शिक्षक होने की योग्यता निम्न-मानक व्यवस्था वाली, और विविधतापूर्ण कक्षाओं की शिक्षाशास्त्रीय आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में असफल, 'शिक्षण की दुकानों' से प्राप्त करते हैं।

प्रस्तावित नीति स्कूल और शिक्षक-शिक्षा के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करने के हिसाब से बनाई गई है। ऐसा करने में उसे संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत रहना होगा जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में भी रहना होगा जो जस्टिस वर्मा कमीशन के माध्यम से शिक्षक-शिक्षा के लिए नियामक रूपरेखा परिभाषित करता है।

पूनम बत्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ाती हैं और उन्होंने जस्टिस वर्मा कमीशन एवं कार्यान्वयन कमेटी की सदस्य के रूप में काम किया है। उनसे batra.poonam@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : रमणीक मोहन